28.11.24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रकरण तामील हेतु नियत है। प्रार्थी एवं प्रार्थी प्रति. को न्यायालय द्वारा कई बार - आवाज लगवाई गई लेकिन इसके न्यायालय समय समाप्ति तक कोई उप. नहीं हुआ है। हस्तगत प्रकरण का मुख्य वाद खारिज हो चुका है। जिसके इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।

अतः प्रार्थना पत्र इसी स्तर आदेश 9 नियम 5,8 के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं अदम तामिल में खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रिया डाबी)
IAS
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर